# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

**पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव (आर.ए.एस.)**

:: **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 65/2021** ::

1.श्रीमति अनिता सैनी पत्नि श्री चिरंजीलाल सैनी,आयु 38 साल जाति माली, निवासी सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर,राजस्थान।

प्रार्थी

## बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई, जिला अजमेर,राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 20/01/2022

1. प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी वकील श्री इन्द्रेश रामचन्दानी ने अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 10.09.2021 को माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज रजिस्टर क्रमांक 65/2021 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। 24.09.2021 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई।
2. प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अधिवक्ता निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खरीदशुदा व कब्जेशुदा भूमि ग्राम अरांई के खसरा संख्या 2597 कुल रकबा 07 बीघा 07 बीस्वा एवं खसरा संख्या 2605 रकबा 02 बीघा 07 बीस्वा इस प्रकार कुल खसरा संख्या 02 कुल किता 02 कुल रकबा 09 बीघा 14 बीस्वा के काबिज काश्तकार हैं। प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि के खसरा संख्या 2597 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 2599 गै.मु.रास्ता है। एवं खसरा संख्या 2605 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 2599 गै.मु.रास्ता है। प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि के खसरा संख्या 2597 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2595 कुल रकबा 05 बीघा 01 बीस्वा था एवं उपरोक्त खसरा संख्या 2595 में से 04 बीघा 10 बीस्वा भूमि माननीय जिला कलेक्टर महोदय,अजमेर के आदेश क्रमांक एफ12/पी/कअ/राजस्व/11116 दिनांक 07.10.2011 से शमशान के लिये आवंटन की गयी थी एवं शेष 11 बीस्वा भूमि गै0मु0रास्ते के लिये रखी गयी थी। जो उपरोक्त खसरा संख्या 2599 से मिलती है। यह है कि उक्त भू[illegible]मीन त्रुटियुक्त करते हुये खसरा संख्या 2599 से जुडता हुआ जो रास्ता था उसे शम[illegible] के [illegible] में तरमीम कर दिया गया जबकि वर्तमान में वहां चालू रास्ता मौजूद है। प्रार्थी[illegible] जरिये [illegible] निवेदन किया कि ग्राम अरांई के खसरा संख्या 2595 रकबा 05 बीघा 01 बीस्वा [illegible] 04 बीघा 10 बीस्वा जो शमशान के लिये आवंटित की गई थी एवं शेष 11 बीस्वा भूमि रास्ते के लिये रखी गई थी कि गलत एवं त्रुटियुक्त तरमीम को दुरूस्त करवाते हुये गै.मु.शम[illegible] के खसरे में से तरमीम करवायी जावे।
3. प्रकरण में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हो चुका है। दिनांक 18.01.2022 को प्रार्थी द्वारा अर्जेन्ट सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने से पत्रावली नियत तिथी से पूर्व तलब कर दिनांक 19.01.2022 को रखवाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:20:36 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम अरांई स्थित है जिसके खसरा संख्या खसरा संख्या 2597 कुल रकबा 07 बीघा 07 बीस्वा एवं खसरा संख्या 2605 रकबा 02 बीघा 07 बीस्वा इस प्रकार कुल खसरा संख्या 02 कुल किता 02 कुल रकबा 09 बीघा 14 बीस्वा स्थित है साथ ही पैरोकार सरकार रिपोर्टनुसार उक्त भूमि में पहुंचने हेतु राजस्व रिकार्ड में 2595 में एक रास्ता दर्ज है जो कि श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा शमशान हेतु आवंटित किया था, जबकि वर्तमान में एक चालू रास्ता खसरा संख्या 3728/2595 के पूर्व में है जो कि वर्तमान में चालू है एवं रास्तें के रूप में काम में आ रहा है। तरमीम की अशुद्धि के कारण वर्तमान शमशान के स्थान पर रास्ता दर्ज कर दिया गया जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है चूंकि वर्तमान समय में राजस्व विभाग द्वारा भी चालू रास्तों के अंकन हेतु परिपत्र कमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 जारी किया जा चुका है।

हमारे द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वकील वादी की बहस सुनी गई।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को प्रार्थना पत्र में संलग्न नक्शा कमांक 01 (सम्वत 2027–2028)अनुसार वर्तमान में चालू रास्ते का अंकन खसरा संख्या 3728/2595 के पूर्व में लाल रंग से दर्शित के स्थान पर करें एवं शमशान का अंकन खसरा संख्या 2595 जो वर्तमान में शमशान है काले रंग से दर्शित में करें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद करें। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा अन्तिम निर्णय का एक भाग माना जावे। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/01/22 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

20/01/2022

उपखण्ड अधिकारी
अरांई(अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:20:36 IST
Reason: SelfAttested